न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 79/16 **निर्णय दिनांकः– 14.3.2019**

1. भागीरथ पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. भैराराम
2. रणजीतराम
3. राधा
4. आशाराम
5. रूकमा
6. जगदीश

पुत्र/पुत्रियॉ रामीदेवी पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी धीरेरां स्टेशन तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2016
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री रामावतार बूरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2016 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद स्वीकार किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादगत भूमि तहसील नोखा के ग्राम सिनियाला के गत खसरा नम्बर 30, 34, 38, 42, 46, 48, 54, 66, 171, 177 कुल किता 10 तादादी 287 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 156, 165, 185, 497, 522 कुल किता 5 तादादी 32.12 हेक्टर ग्राम सिनियाला तहसील नोखा में रेस्पोडेन्ट्स का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी सवत् 2070–2073 में भागीरथ पुत्र मोटाराम के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि बैंक में रहन रखी हुई है। अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के बिना स्टेट का जवाब दावा लिये राजस्व लोक अदालत की आड में बिना अपीलाट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये दावा डिक्री किया गया है। जबकि विभाजन के दावे में संबंधित तहसीलदार का जवाब लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री की अपीलाट को किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया आदेश है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि तहसील नोखा के ग्राम सिनियाला के गत् खसरा नम्बर 30, 34, 38, 42, 46, 48, 54, 66, 171, 177 कुल किता 10 तादादी 287 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 156, 165, 185, 497, 522 कुल किता 5 तादादी 32.12 हेक्टर ग्राम सिनियाला तहसील नोखा में रेस्पोडेन्ट्स का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2070–2073 में भागीरथ पुत्र मोटाराम के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अमलामाल के साथ साठगाठ कर संयुक्त खाते की भूमि के विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट की गैर हाजरी में दिनांक 12–3–2016 को दावा एकतरफा तौर पर डिक्री कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा आदेश व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कि पक्षकार के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। जबकि लोक अदालत की मंशा यह है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति हो ऐसी स्थिति में ही पक्षकारों की आपसी समझाईश व सहमति व उपस्थिति में निर्णय पारित किया जाता है। जबकि प्रकरण में अपीलांट को ना तो राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान की गई ना ही अपीलांट उक्त दिनांक को उपस्थिति था। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्पष्ट रूप से राजस्व लोक अदालत की मंशा के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपने आदेश में अंकित किया है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य भलींभांति प्रकट थे कि अपीलांट वादगत् भूमि का एक संयुक्त खातेदार है। ऐसी स्थिति में बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि साबिका खसरा नम्बर 30, 34, 38, 42, 46, 48, 54, 66, 171, 177 कुल किता 10 तादादी 287 बीघा 17 बिस्वा ग्राम रोही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

सिनियाला तहसील नोखा में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में खेमाराम, प्रेमाराम, रेखाराम पिसरान भोराराम बहिस्सा बराबर मोटाराम पुत्र भगवानाराम के नाम संयुक्त खातेदारी की रही है। जिसमें मोटाराम पुत्र भगवानाराम का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहे है। मोटाराम पुत्र भगवानाराम के स्वर्गवास के उपरान्त विरासतन इंतकाल दुली बेवा मोटाराम व प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के नाम स्वीकृत किया गया तथा इसी प्रकार दुली बेवा मेाटाराम के स्वर्गवासके उपरान्त एकल रूप से प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जबकि रामीदेवी का उक्त आराजी में 1/3 व तत्पश्चात् 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज होना चाहिए था।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण की माता स्व. रामीदेवी पुत्री स्व. मोटाराम व स्व. दुली के जायज वारिसान/उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 156, 165, 185, 497, 522 कुल किता 5 तादादी 32.12 हेक्टर में रेस्पोडेन्ट/वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित होने के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दावा धोषणात्मक व वादगत् भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने का प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को विधिनुसार रजिस्टर्ड समन जारी किये गये। दिनांक 18—11—2015 को अपीलांट/प्रतिवादीगण पर समन तामील होन के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने के आदेश प्रदान किये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उन्हें नोटिस जारी नहीं किये गये है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों की जॉच के उपरान्त रेस्पोडेन्ट/वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादपत्र स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम सिनियाला के हाल खेत खसरा नम्बर 156 तादादी 8.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 तादादी 2.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 185 तादादी 7.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 497 तादादी 4.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 522 तादादी 9.50 हेक्टर कुल किता 5 तादादी 32.12 हेक्टर भूमि में से रेस्पोडेन्ट/वादीगण को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित करते हुए धारा 53 आरटी के तहत वादगत् भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार को अभी सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन तैयार किये जाने शेष है। यदि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित है तो वे स्वयं मौके पर तत्समय उपस्थित रहकर अपनी आपत्ति व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सभी पक्षकारों के हिस्से व कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार नोखा को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अभी तक फाईनल डिक्री जारी नहीं की गई। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के आदेश जैर अपील दिनांक 12–03–2016 जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा राजस्व कैम्प में ही एकतरफा निर्णय कर दिया गया। इस संबंध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19–05–2015 का अवलोकन किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–05–2015 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित लोक अदालत के शिविर में प्रतिवादी/अपीलांट को हाजिर आने तथा जवाब हेतु अवसर चाहने का उल्लेख है।

तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 27–05–2015 को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाया गया, जिसमें दिनांक 04–06–2015 को हाजिर आने के लिये सूचित किया गया। तत्पश्चात् चार बार प्रतिवादी का इंतजार किया जाकर दिनांक 18–11–2015 को एकतरफा कार्यवाही की गई तथा वादी की साक्ष्य लेने के उपरान्त दिनांक 12–03–2016 को निर्णय किया गया। इससे स्पष्ट है कि लोक अदालत में निर्णय करने से पूर्व प्रतिवादी न्यायालय की कार्यवाही से भलींभांति वाकिफ था।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपीलांट का तर्क है कि निर्णय से पूर्व स्टेट की और से तहसीलदार का जवाब नहीं लिया गया। इस संबंध में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं जिसमें हिस्से की धोषणा तथा बंटवारें के वाद में तहसीलदार, नोखा को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया था। तहसीलदार, नोखा द्वारा विभाजन पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उक्त मामलें में स्टेट का किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा था।

दौराने बहस अपीलांट ने वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदारी की धोषणा पर विशिष्ट रूप से कोई एतराज नहीं किया है तथा उसे सुने बिना डिक्री पारित करने का एतराज लिया है। जबकि परीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया गया है। न्यायालय ने केवल प्रारम्भिक डिक्री जारी की है। अपीलांट के सामने विकल्प उपलब्ध है कि वह कुल भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाकर अपना खाता अलग करवा लें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2016 उपखण्ड अधिकारी, नोखा यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner